न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 29/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 24.02.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/67

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.श्री राजेश कुमार मालवीय पुत्र लालचंद मालवीय जाति कलाल निवासी गिरी		1. प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरी तहसील रायपुर 2. निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा विभाग मुख्यालय बीकानेर (हटाया गया) 3. तहसीलदार रायपुर (श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली को पक्षकार हटाया गया)

दावा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 वादी उपस्थित
2 प्रतिवादी संख्या 01 प्रधानाचार्य अनुपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार उपस्थित

निर्णय

दिनांकः 22.09.2022

वादी की ओर से वकील श्री रोहित चौधरी वगैरह द्वारा दावा बाबत् वादपत्र धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादी की काश्तकारी खातेदारी भूमि ग्राम गिरी, पटवार क्षेत्र गिरी, तहसील रायपुर जिला पाली, के खाता संख्या 181 एवं खसरा संख्या 1519 क्षेत्रफल 0.3237 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल है। वादी की उपरोक्त भूमि आज भी कृषि उपयोग हेतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उक्त भूमि का गैर कृषि उपयोग हेतु भूमि रूपांतरण नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 के निर्देशन में है तथा प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 का उच्च अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 चूंकि राज्य कर्मचारी है जिस कारण से प्रतिवादी संख्या 3 को भी प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 12—08—2016 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की उपरोक्त कथित भूमि पर बिना विधि पूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी की उपरोक्त वर्णित संपत्ति/ भूमि पर बिना विधि पूर्ण प्राधिकार के तथा अपनी राजकीय कार्य अधिकार क्षेत्र के परे जाकर दिनांक 12/08/2016 से अविधिक कब्जा बनाए रखा है। वादी उपरोक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे प्रतिवादी को बेदखल करने का अधिकार प्राप्त है। दिनांक 30—07—2019 व 28—01—2020 को वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सौंपने तथा विधिक कार्यवाही हेतु धारा 80 सी पी सी का नोटिस प्रेषित किया, जो प्रतिवादीगण को प्राप्त भी हो गया परन्तु प्रतिवादीगण ने उक्त नोटिस का कोई जवाब वादी को नहीं दिया है ना ही वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सौंपा हैं । वादग्रस्त भूमि का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय रायपुर के आदेश क्रमांक/राजस्व/2020/3189 दिनांक 10—08—2020 एवं श्रीमान तहसीलदार रायपुर के आदेश क्रमांक/ भू. अ./2020/1535 दिनांक 15—07—2020 की पालना में ग्राम गिरी के खसरा संख्या 1519 से 1523 का सीमांकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि विद्यालय भवन के चारदीवारी का निर्माण कर उसके अंदर ले लिया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पूर्ण रूप से जानकारी है कि उन्होंने वादग्रस्त भूमि पर अविधिक कब्जा कर रखा है तथा वादी द्वारा कब्जा मांगे जाने पर भी प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादी को वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

भूमि में आने जाने नहीं दे रहे हैं। प्रस्तुत वाद का वाद कारण दिनांक 12–08–2016 को उत्पन्न हुआ कि जब प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 की जानकारी व सहमति से वादग्रस्त भूमि पर अविधिक कब्जा किया तत्पश्चात वाद कारण दिन–प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रार्थना–पत्र को सुनने व निस्तारित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आदेशित किया जाए कि वादग्रस्त भूमि का कब्जा खाली कर कब्जा वादी को सौंपे। अन्य कोई अनुतोष जो वादी के पक्ष व विरुद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हो जिसे माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदत्त की कृपा करें।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 प्रधानाचार्य गिरी ने अपना आंशिक जबाव दिया। जो शा.मि. किया गया। जबाव में बताया कि उक्त प्रकरण की जानकारी ट्रस्ट व भूमि खरीद करने वालों ने ग्रामवासी व दानदाताओं की समिति को दे दी गई हैं। इसके प्रतिउत्तर में उन्होंने फोन पर कहा कि वो जल्द ही ट्रस्ट व गांव की आमसभा का आयोजन करेगे और इस सभा में इस विषय पर उचित सकारात्मक प्रयास करेगे। इस बिल्डिंग के निर्माण व भूमि खरीदने से संबंधित कोई भी पत्रावली के पास उपलब्ध नही है। ग्रामवासियों व ट्रस्ट के द्वारा कोई भी पत्रावली उपलब्ध करवाने पर श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

वादी ने दिनांक 11.07.2022 को प्रार्थना पत्र वास्ते जबावदावा बंद करने के संबंध पेश किया, जो शा. मि. किया गया हैं। जिसमे प्रतिवादीगण की पूर्ण तामिली हो चुकी हैं। प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत प्रकरण में कोई जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया हैं। प्रस्तुत प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित हैं एवं प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के सम्मुख कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं कि उन्हे जवाब के लिए समय की आवश्यकता हैं।

वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वास्ते जबावदावा बंद करने के सबंध में स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 01 प्रधानाचार्य गिरी एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 निदेशक बीकानेर की जबावदेही बंद की जाती है।

वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 09 एवं धारा 151 सीपीसी वास्ते मौका स्थानीय अन्वेषण करने हेतु कमीशन नियुक्ति किये जाने हेतु पेश किया जो शा.मि. किया गया हैं। प्रार्थना पत्र वास्ते मौका कमिश्नर नियुक्त करने हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रायपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया।

वादी ने दिनांक 20.07.2022 को प्रार्थना पत्र आवश्यक सुनवाई एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के तहत पेश जो शा. मि. किया गया। चुंकि प्रतिवादीगण के जबावदेही बंद होने से प्रार्थना पत्र आवश्यक सुनवाई का स्वीकार किया गया हैं। प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी में राज्य सरकार के लिए कृषि भूमि के लैण्डहोल्डर तहसीलदार हैं इस कारण से प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 03 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के स्थान पर तहसीलदार रायपुर को पक्षकार के रूप मे संयोजित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 01 प्रधानाचार्य गिरी का ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा हैं इस कारण से प्रतिवादी संख्या 02 निदेशक बीकानेर को प्रस्तुत प्रकरण में से डिलीट किया जाने हेतु निवेदन किया हैं। वादी द्वारा पेश धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 03 श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के स्थान पर तहसीलदार रायपुर को पक्षकार के रूप मे संयोजित किये जाने तथ प्रतिवादी संख्या 01 प्रधानाचार्य गिरी का ही वादग्रस्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

पर कब्जा होने से प्रतिवादी संख्या 02 निदेशक बीकानेर को डिलीट किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर के सबंध मे सम्मन पेश हुआ जो तलबी हेतु जारी किया गया हैं।

वादी ने संशोधित शीर्षक पेश हुआ जो शा. मि. किया गया हैं। तहसीलदार रायपुर द्वारा वादग्रस्त भूमि पर मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शा. मि. की गई । तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में बताया कि राजस्व वाद संख्या 29/2022 अनवान राजेश कुमार बनाम प्रधानाचार्य वगैरह में ग्राम गिरी के खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.3237 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में राजेश, जितेन्द्र पि. लालचन्द जाति कलाल के नाम खातेदारी भूमि हैं। ग्राम गिरी के खसरा नम्बर 1519 राजकीय जयमल जैन हरक गुरू उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरी की चारदीवारी के अन्दर हैं। जिसके विद्यालय भवन के कमरे व शौचालय बने हुए हैं तथा चारदीवारी के अन्दर आ रहा हैं जो खाली मैदान हैं खसरा नम्बर 1519 का सम्पूर्ण क्षैत्रफल विद्यालय के कार्य में आ रहा हैं। उक्त रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का से तैयार करवाई गई हैं।

वादग्रस्त भूमि पर तहसीलदार रायपुर द्वारा जबावदावा दिनांक 06.09.2022 को प्राप्त हुआ जो दिनांक 13.09.2022 को शा. मि. किया गया हैं। तहसीलदार रायपुर ने अपने जबाव में बताया कि वादी के खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हैं। राजस्व रिकार्ड अनुसार गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण नहीं हैं। तहसीलदार रायपुर को धारा 80 सीपीसी को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हैं। खसरा संख्या 1519 रकबा 0.3237 हैक्टैयर वादी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं परन्तु काफी समय से प्रतिवादी संख्या 01 प्रधानाचार्य गिरी द्वारा चारदीवारी व विद्यालय का निर्माण करवाया जाकर विद्यालय संचालित किया जा रहा हैं। पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार ग्राम गिरी के खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.3237 हैक्टैयर किस्म बारानी अव्वल में राजेश, जितेन्द्र पि. लालचंद जाति कलाल के नाम खातेदारी दर्ज हैं एवं उक्त खसरा की भूमि पर राजकीय जयमल जैन हरक गुरू उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरी की चारदीवारी हैं जिसमें विद्यालय भवन के कमरे व शौचालय बने हुए हैं। एवं उक्त सम्पूर्ण खसरे की भूमि विद्यालय के कार्यक्षैत्र में आ रही हैं।

वादी ने दिनांक 13.09.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 15 नियम 01 सीपीसी का प्रस्तुत किया जो शा. मि. किया गया।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार रायपुर की बहस प्रार्थना–पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 15 नियम 01 सीपीसी सुनी गई। बहस के दौरान वादी ने व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 08 नियम 03 व 04 सीपीसी के अनुरूप वादपत्र के तथ्यों को इनकार नहीं करने से सम्पूर्ण तथ्य स्वीकृत तथ्य हैं। तहसीलदार रायपुर द्वारा वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 प्रधानाचार्य गिरी का कब्जा तथा उक्त भूमि का रूपांतरण नहीं किया जाना गैर कृषि कार्य में उपभोग लेना राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी के नाम होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी प्रतिकूल धारणा के तथ्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने से प्रार्थना–पत्र, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 15 नियम 01 सीपीसी स्वीकार किया जाकर कोई विवादित बिन्दु शेष नहीं रहने से वाद प्रकरण को निर्णित किये जाने की इस्तेदुआ की है।

प्रतिवादी संख्या 01 प्रधानाचार्य गिरी अनुपस्थित रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार रायपुर द्वारा भी कोई प्रतिकूल धारणा के तथ्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये हैं।

बहस उभयपत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार रायपुर सुनी व समाप्त की गई। बहस के दौरान वादी ने व्यक्त किया कि वादी राजस्व रेकर्ड अनुसार बतौर खातेदार, काश्तकार दर्ज हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

किंतु प्रतिवादी संख्या 01(प्रधानाचार्य, गिरी) अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। तहसीलदार रायपुर से वांछित मौका रिपोर्ट मय वादी की खातेदारी भूमि होना मुख्य रूप से स्वीकृत तथ्य होना, प्रतिवादी संख्या 01(प्रधानाचार्य, गिरी) द्वारा मौके पर स्कूल (विद्यालय) निर्माण करवाया जाना अन्य भूमि पर चारदीवारी निर्माण किया जाना उल्लेखित हैं। प्रतिवादी संख्या 01(प्रधानाचार्य, गिरी) द्वारा भी निर्माण किया हुआ होना स्वीकार किया है किन्तु विद्यालय के नाम भूमि होने से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य सबूत के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। मौका रिपोर्ट से वादपत्र में वर्णित तथ्यों की संतुष्टि होने से वाद डिक्री किया जाकर कब्जा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01(प्रधानाचार्य, गिरी) से दिलवाया जाने की इस्तेदुआ की हैं। प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार रायपुर ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों के प्रतिकूल कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य आदि पेश नहीं किये हैं। प्रतिवादी संख्या 01 आज भी अनुपस्थित है। बार– बार आवाजे दिलाने के बावजूद भी अनुपस्थित हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र, जवाब दावा, प्रतिवादी संख्या 01(प्रधानाचार्य, गिरी) एवं 03 तहसीलदार रायपुर तथा मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया एवं बहस उभयपत्र पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादपत्र के संलग्न वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2073–76 आदि के अवलोकन से वादी मुख्यतः बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में शिक्षा विभाग/ संबद्ध विद्यालय का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं है। मौका रिपोर्ट अनुसार बिना किसी अनुमति, रूपांतरण, भूमि समर्पण नामा पंजीकृत दस्तावेज आदि के निर्माण हुआ है। जिसकी प्रतिकूल धारणा के ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूत भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। लिहाजा अधिवक्ता मय वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना एवं वादी की वादग्रस्त खातेदारी भूमि से कब्जा दिलाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम गिरी पटवार हल्का गिरी भू अभिलेख निरीक्षक गिरी के खाता संख्या 181 व खसरा नम्बर 1519 रकबा 03237 हैक्टैयर में प्रतिवादीगण संख्या 01(प्रधानाचार्य, गिरी) से वादी को कब्जा दिलाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

बईजलास :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1.श्री राजेश कुमार मालवीय पुत्र लालचंद मालवीय जाति कलाल निवासी गिरी		1. प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरी तहसील रायपुर 2. निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा विभाग मुख्यालय बीकानेर (हटाया गया) 3. तहसीलदार रायपुर (श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली को पक्षकार हटाया गया)

दावा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद 29/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री रोहित चौधरी वगैरह अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण संख्या 01 प्रधानाचार्य गिरी अनुपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार रायपुर उपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम गिरी पटवार हल्का गिरी भू अभिलेख निरीक्षक गिरी के खाता संख्या 181 व खसरा नम्बर 1519 रकबा 03237 हैक्टैयर में प्रतिवादीगण संख्या 01(प्रधानाचार्य, गिरी) से वादी को कब्जा दिलाने के आदेश दिये जाते हैं।

नीज.....×.....मुबलिक.....×.....बाबत्.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....×.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक .....×.....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.09.2022 को जारी किया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	01	00	स्टाम्प हाजंरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	7	00	मीजान			
मीजान		10	00			00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।